संख्या /नौ–2–04(04पे0)/2002

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1.प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम
देहरादून।
2.मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून

पेयजल अनुभाग

देहरादूनः 9 दिनांक 24 मार्च,2004

विषयः– वर्ष 2003–04 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तरांचल पेयजल निगम कार्यालय के पत्रांक 5303/धनावंटन प्रस्ताव/दिनांक 23.12.2003 एंव उत्तरांचल जल संस्थान के पत्रांक 4019/धनावंटन/2003–04, दिनांक 27.12.2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल के ऐसे समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जहॉ पेयजल की अत्यन्त कमी है, में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संलग्नक–1 के विवरणानुसार उत्तरांचल पेयजल निगम को 665 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु रू0 999.12 लाख (रू0 नो करोड़ नवासी लाख बारह हजार मात्र)तथा उत्तरांचल जल संस्थान को 395 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु रू0 610.88 लाख(रू0 छःकरोड़ दस लाख अठठासी हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 16,00,00,000.00(रू0 सोलह करोड़ मात्र) की धनराशि जिसमें से रू0 179.28 लाख संगत मद से एंव रू0 1420.72 लाख (रु चौदह करोड़ बीस लाख बहतर हजार मात्र) संलग्नक–2 में बी0एम0–15 के अनुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतो से पुर्नविनियोजन द्वारा व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित करके इसे अपने पी0एल0ए0खाते में रखा जायेगा और यदि विभाग का पी0एल0ए0 खाता खुला न हो तब ही धनराशि को अपने बैंक खाते में जमा किया जायेगा और इस धनराशि पर जो भी ब्याज अर्जित होगा उसे वित्त विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार राजकोष में जमा कर उसकी सूचना शासन को दी जायेगी।स्वीकृत की जा रही धनराशि जब भी बैंक से आहरित की जायेगी उसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

3 कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एंव उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को यथासमय उपलब्ध करा दिया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस वर्ष स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायगा।

कृपया ...2

4— उक्त स्वीकृत धनराशि में से पेयजल निगम की राशि प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल पेयजल निगम के हस्ताक्षर एवं जल संस्थान से सम्बन्धित राशि मुख्य महाप्रबन्धक,उत्तरांचल जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा दोनों इकाईयों के लिए जिलाधिकारी,देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना आहरण के तुरन्त बाद शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध कराई जायेगी।

5— स्वीकृत धनराशि से अधिष्ठापित होने वाले हैण्डपम्पों के सम्बंध में दोनों संस्थाए एक ही शिडयूल दर पर निमार्ण कार्य करेंगी।

6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मेनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्यक प्राप्त कर ली जाए। निमार्ण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगण्नों पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन के साथ—साथ सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्यक प्राप्त कर ली जाए।

7. निमार्ण कार्यो में सेन्टेंज आदि निर्धारित दरों पर ही ली जायेगी जोकि 12.5 प्रतिशत से अधिक देय नहीं होगा। कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाए।

8 यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन उन्ही स्थानों पर किया जायेगा जिनके सम्बंध में अनुमोदन प्रदान किया गया हों,ऐसे स्थानों पर निमार्ण कार्य कदापि न किए जाए जिनकी स्वीकृति नही है अथवा जो स्थान विवादग्रस्त हैं।

9. हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य आगामी ग्रीष्म ऋतु से पूर्व प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाए। कार्य की समयबद्धता एंव गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। गुणवत्ता हेतु सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता का पूर्णउत्तरदायित्व होगा।

10. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003—04 में अनुदान संख्या—13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—2215—जलपूर्ति तथा सफाई—01—जलपूर्ति—आयोजनागत— 101—शहरीजलपूर्ति कार्यक्रम—05—नगरीय पेयजल—91—हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन(जिलायोजना) —20—सहायक अनुदान/ अशंदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 3177/वित्तअनु0—3/2003, दिनांक 17 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

संलग्नक— यथोक्त

भवदीय

(पी0के0महान्ति)
सचिव

संख्या 90 (1)/नौ–2–04(84पे0)/2002, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त,गढ़वाल/कुमॉयू/पौड़ी/नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– महाप्रबन्धक,उत्तरांचल जल संस्थान,नैनीताल।
6– मुख्य अभियन्ता(गढ़वाल/कुमॉयू),उत्तरांचल पेयजल निगम,पौड़ी/नैनीताल।
7– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री/पेयजल मंत्री।
8– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त बजट सैल।
9– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड़, देहरादून।
10– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(कुवर सिंह)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या 90 (1)/नौ-2-04(84पे)/2002, दिनांक 24 मार्च,2004 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0सं | जनपद का नाम | उत्तरांचल पेयजल निगम | | उत्तरांचल जल संस्थान | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | हैण्डपम्प | धनराशि | हैण्डपम्प | धनराशि | हैण्डपम्प | धनराशि |
| 1 | उत्तरकाशी | – | – | 30 | 45.00 | 30 | 45.00 |
| 2 | चमोली | – | – | 25 | 40.00 | 25 | 40.00 |
| 3 | रुद्रप्रयाग | 10 | 11.25 | 30 | 33.75 | 40 | 45.00 |
| 4 | टिहरी | 30 | 55.38 | 35 | 64.62 | 65 | 120.00 |
| 5 | देहरादून | 250 | 457.50 | 15 | 27.50 | 265 | 485.00 |
| 6 | पौड़ी | 80 | 142.86 | 60 | 107.14 | 140 | 250.00 |
| 7 | पिथौरागढ़ | – | – | 45 | 70.00 | 45 | 70.00 |
| 8 | चम्पावत | 20 | 18.00 | 30 | 27.00 | 50 | 45.00 |
| 9 | अल्मोड़ा | – | – | 60 | 90.00 | 60 | 90.00 |
| 10 | बागेश्वर | – | – | 30 | 45.00 | 30 | 45.00 |
| 11 | नैनीताल | 80 | 139.13 | 35 | 60.87 | 115 | 200.00 |
| 12 | उधमसिंहनगर | 100 | 120.00 | – | – | 100 | 120.00 |
| 13 | (1)हरिद्वार | 15 | 13.00 | – | – | 15 | 13.00 |
| | (2)हरिद्वार (TAC) | 80 | 32.00 | – | – | 80 | 32.00 |
| | योग–: | 665 | 989.12 | 395 | 610.88 | 1060 | 1600.00 |

( रू0 सोलह करोड़ मात्र)

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संलग्नक-2

बी0 एम0-15 पुनर्विनियोग 2003-04 आयोजनागत

नियन्त्रक अधिकारी:- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम। मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान।

प्रशासनिक विभाग:- पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन ।

( रू0 हजार में )

| प्राविधान तथा लेखाशीर्षक | मानक मद्वार अध्यावधिक व्यय | वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय | अवशेष (सरप्लस) | लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है | पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि | पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2215-जलपूर्ति तथा सफाई | | | | 2215-जल पूर्ति तथा सफाई | | |
| 01-जलपूर्ति- आयोजनागत | | | | 01 जलपूर्ति आयोजनागत | | |
| 102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम | | | | 101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम | | |
| 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधायित योजना | | | | 05-नगरीय पेयजल | | |
| 04- ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता (75 प्रतिशत केन्द्र पोषित) | | | | 91- हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन (जिला योजना) | | |
| 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता 280000 | 5971 | 5971 | 274029 | 20-सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता 142072 | 182072 | 137928 |
| योग- 280000 | 5971 | 5971 | 274029 | 142072 | 182072 | 137928 |
| | | | | | | |

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156, में उल्लिखित सीमाओं का उल्लघन नही होता है ।

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-3
संख्या 377(क)/ वित्त अनु0-3/2004
देहरादून दिनांक 17 मार्च, 2004

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव वित्त

संख्या 91 (1)/नौ-2(84पे0)/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कोषाधिकारी, देहरादून। 2. वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून। 4. प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल पेयजल निगम,देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल निगम।

आज्ञा से,
(कुँवर सिंह)
अपर सचिव